न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00131

1. मोहन लाल आत्मज मांगी लाल ।
2. रामविलास आत्मज मांगीलाल ।
3. जानकी बाई बेवा मांगीलाल जाति धाकड निवासीगण ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

----अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रघुवीर यादव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 09.06.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा में कुल 03 किता की 40 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त आराजी में प्रतिवादी के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा सेटलमेंट कर दिया गया तथा उक्त आराजी के नये खसरा नम्बर दर्ज कर वादीगण की आराजी को पूर्व रिकॉर्ड तथा वर्तमान कब्जे के अनुसार दर्ज नहीं करके करीब कुल 0.48 हैक्टर भूमि कम दर्ज की गई है । सेटलमेंट विभाग को वादीगण की भूमि कम करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में 5.34 हैक्टर के स्थान पर 0.13 हैक्टर की कमी रकबा पूरा करते हुए 5.47 हैक्टर भूमि व खसरा नम्बर 315 रकबा 0.54 हैक्टर के स्थान पर कमी रकबा 0.33 हैक्टर पूरा करते हुए 0.87 हैक्टर भूमि तथा खसरा नम्बर 699/87/903 की 0.08 हैक्टर के स्थान पर रकाब कमी रकबा 0.02 हैक्टर पूरा करते हुए 0.10 हैक्टर भूमि यानि 5.96 हैक्टर के स्थान पर 6.44 हैक्टर भूमि दर्ज करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराने का आदेश प्रदान करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पेशी दिनांक 16.06.2016 को ऑर्डर शीट पर ही निर्णय लिखा किन्तु उस समय तक पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट नहीं आयी बल्कि उक्त रिपोर्ट दिनांक 18.06.2016 को पेश हुई और निर्णय के अन्त में पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 18.06.2014 तारीख अंकित की। अपीलान्ट का पुराना रकबा 40 बीघा 01 बिस्वा था सेटलमेंट के दौरान 5.96 हैक्टर दर्ज कर 0.48 हैक्टर भूमि कम की है जबकि मौके पर 6.44 हैक्टर भूमि पूरी है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी । प्रतिवादी सरकार की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में कोई उपस्थित नहीं हुआ और अपीलान्ट को आगामी तारीख पेशी पता करने हेतु बताया गया परन्तु दिनांक 03.04.2019 को वकील साहब द्वारा पत्रावली देखने पर ज्ञात हुआ कि प्रस्तुत प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया है और वादीगण का वाद खारिज कर दिया । जानकारी प्राप्त होते ही नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 11.04.2019 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण ने एक दावा हक घोषणा का परीक्षण न्यायालय में पेश किया था और यह कथन किया था कि ग्राम ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 114, 125 व 331 की कुल 40 बीघा 01 बिस्वा भूमि के वादीगण खातेदार हैं । सेटलमेंट विभाग के दौरान इसके नये खसरा नम्बर 226, 228, 229, 230, 215, 690/391/903 रकबा 5.96 हैक्टर कायम किया जबकि साबिक रकबे के अनुसार रकबा 6.44 हैक्टर होना चाहिए । इस प्रकार 0.48 हैक्टर आराजी कम कर दी गई है । सरकार को 80 सीपीसी का नोटिस भी दिया

गया था । प्रकरण को दिनांक 16.06.2016 को लोक अदालत में रखा गया । वादी के उपस्थिति के हस्ताक्षर कराये गये । सरकार की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और उसी दिन प्रकरण को खारिज कर दिया गया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । आदेश दिनांक 16.06.2016 को लिखा गया है और पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 18.06.2016 को पेश हुई है । दिनांक 16.06.2016 को कोई रिपोर्ट पेश नहीं हुई थी । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली रिपोर्ट तहसील में लम्बित थी और इसको दिनांक 16.06.2016 को लोक अदालत में रखा गया । आदेशिका में जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट है वो दिनांक 18.06.2016 की है और आदेश में पीठासीन अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर कर दिनांक 18.06.2014 की तारीख अंकित की गई है । लोक अदालत में सिर्फ वादी उपस्थित हुए हैं । प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हैं और न ही पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा हुआ है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया है । आदेशिका में पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 18.06.2016 में दर्ज की गई है उसमें मात्र यह अंकित है कि वादीगण के खाते में हाल खसरा नम्बर की कुल 06 किता की 5.96 हैक्टर आराजी दर्ज है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी सरकार से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकी कायम कर प्रत्येक तनकी पर

पक्षकारान की साक्ष्य लेकर सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12.07.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 09.06.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/6/2021

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा